महत्वपूर्ण

संख्या:72/2022/2213644/1440478/12-2099/161/2021

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक: 26 सितम्बर, 2022

विषय: फसलों की उत्पादकता के आंकलन हेतु सांख्यिकीय विधि से कराये जाने वाले क्राप कटिंग प्रयोग को भारत सरकार द्वारा बनाये गये CCE Agri App के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत को इकाई मानते हुए कराया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत दैवी आपदा के कारण अधिसूचित फसलों को क्षति की स्थिति में बीमित कृषकों को नियमानुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है।

2. उल्लेखनीय है कि योजनान्तर्गत बीमित कृषकों के लिए क्षतिपूर्ति का निर्धारण सांख्यिकीय विधि से राजस्व कार्मिकों के द्वारा सम्पादित कराए गए फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर प्राप्त उपज के अनुमानों के अनुसार किया जाता है। योजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत स्तर को इकाई मानते हुए कराने के कारण वर्तमान समय में आयोजित होने वाले फसल कटाई प्रयोगों की संख्या में अत्यन्त वृद्धि हुई है, जिसके कारण यह आवश्यक है कि फसल कटाई प्रयोगों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु इनके सम्पादन हेतु पूर्व से प्रचलित सांख्यिकीय विधि के साथ ही साथ तकनीक का भी उपयोग सुनिश्चित किया जाय। फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आंकड़ों का उपयोग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत क्षतिपूर्ति के निर्धारण करने के साथ ही साथ प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार द्वारा अपने खाद्य नीति के निर्धारण तथा अन्य शासकीय कार्यो में किया जाता है।

3. फसल कटाई प्रयोगों को और प्रभावी एवं तथ्यपरक बनाने के दृष्टिगत भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या: 11019/04/2019-क्रेडिट-II दिनांक 23 अगस्त, 2022 द्वारा क्रॉप कटिंग प्रयोग को CCE Agri App के माध्यम से कराने पर विशेष बल देते हुए खरीफ, 2022 में आयाजित क्रॉप-कटिंग प्रयोगों को CCE Agri App से कराया जाना अनिवार्य कर दिया है।

4. प्रदेश की प्रमुख फसलों के आच्छादन एवं उपज के सही-सही आंकलन कराने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या: 61/2022/2173685/12-2099/118/2022, दिनांक 16 अगस्त, 2022 एवं राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश के परिपत्र संख्या: आर-298/क्राप

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क0/पड़ताल/2021-22, दिनांक 31 अगस्त, 2022 एवं परिपत्र संख्या: आर-213/16-7-35/ खरीफ 2022-23, दिनांक 12 मई, 2022 द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं।

5. क्रॉप-कटिंग प्रयोगों को CCE Agri App के माध्यम से सम्पादित कराने हेतु वर्ष 2019 में राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के समस्त प्राथमिक राजस्व कार्मिकों यथा लेखपाल/राजस्व निरीक्षकों को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराये गये हैं। साथ ही इस कार्य को करने हेतु प्रत्येक फसली वर्ष के खरीफ व रबी मौसम में प्रारम्भ में ही प्रत्येक तहसील में प्रशिक्षण कार्यक्रम में आयोजित किए जाते हैं।

6. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आगामी खरीफ मौसम से प्रत्येक दशा में क्रॉप कटिंग प्रयोगों का सम्पादन CCE Agri App के माध्यम से सुनिश्चित किए जाने के दृष्टिगत निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए:-

(i) जनपद के भूलेख अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि जिलाधिकारी कार्यालय भू-लेख अनुभाग में तैनात अपर सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक सांख्यिकीय अधिकारी द्वारा CCE Agri App पर समस्त राजस्व कार्मिकों (लेखपालों एवं राजस्व निरीक्षक) का प्राइमरी यूजर के रूप में रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए।

(ii) उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि खरीफ, 2022 मौसम में होने वाली धान की फसल के कटाई प्रयोगों का सम्पादन राजस्व कार्मिकों (लेखपालों एवं राजस्व निरीक्षकों) द्वारा शत-प्रतिशत अनिवार्य रूप से CCE Agri App से ही कराया जाये। साथ ही इनके द्वारा प्रयोग हेतु निर्धारित तालिका नम्बर-2 भी भरी जाये तथा चयनित खेत, उपज की तौल एवं टेबिल नं0-2 की फोटो भी अपलोड की जाये।

(iii) फसल कटाई का जनपद एवं मण्डल स्तर के राजस्व विभाग, कृषि एवं विकास विभाग के अधिकारियों के निरीक्षण हेतु अधिक से अधिक गांवों का आवंटन किया जाय।

(iv) जिलाधिकारी के स्तर से क्रॉप कटिंग प्रयोगों के सम्पादन का निरीक्षण करने हेतु नामित जनपदीय अधिकारी यथा राजस्व विभाग, कृषि एवं विकास विभाग के अधिकारी अपने आवंटित ग्रामों के अतिरिक्त अपने क्षेत्रीय भ्रमण के समय अन्य ग्रामों में भी सम्पादित कराये जा रहे क्रॉप-कटिंग प्रयोगों का भी आकस्मिक निरीक्षण करें।

(v) क्रॉप कटिंग प्रयोग से संबंधित तालिका नम्बर-1 व 2 को निर्धारित समयान्तर्गत तहसीलदार के माध्यम से भू-लेख अधिकारी को प्राप्त कराया जाय, तत्पश्चात भू-लेख अधिकारी द्वारा प्राप्त तालिकाओं को राजस्व परिषद को निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराया जायगा।

(vi) आंकड़ों की गुणवत्ता एवं सुतथ्यता के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक तथा तहसील स्तर पर तहसीलदार एवं उप जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(vii) समस्त जनपदों में पड़ताल का कार्य प्रत्येक दशा में राजस्व परिषद द्वारा खसरा पड़ताल हेतु निर्मित पोर्टल पर 1429 फसली (वर्ष 2021-22) दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 तक पूर्ण कर लिया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(viii) उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु मण्डलायुक्तों/ जिलाधिकारियों के द्वारा समय-समय पर बैठक/वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से समीक्षा की जाए तथा प्रगति की सूचना राजस्व परिषद एवं शासन को उपलब्ध करायी जाए।

अत: उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक दशा में आगामी खरीफ मौसम से फसलों की उत्पादकता के आंकलन हेतु सांख्यिकीय विधि से कराए जाने वाले क्राप कटिंग प्रयोगों को भारत सरकार द्वारा बनाए गए CCE-Agri-App के माध्यम से कराने का कष्ट करें ताकि भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप क्रॉप कटिंग प्रयोगों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

भवदीय,
दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव।

संख्या: 72/2022/2213644(1)/1440478/12-2099/161/2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पीएमएफबीवाई, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को उनके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 23 अगस्त, 2022 के क्रम में।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।